राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 370/2015

शिवजीलाल मीणा (मृतक) जरिये विधिक वारिसान

1/1 श्रीमती मोत्या देवी पत्नी स्व.श्री शिवजीलाल मीणा,
1/2 श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री रमेशचन्द मीणा पुत्री श्री स्व.श्री शिवजीलाल मीणा
1/3 श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री सोपाल मीणा पुत्री श्री स्व.श्री शिवजीलाल मीणा
1/4 श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री भनराज पुत्री श्री स्व.श्री शिवजीलाल मीणा
1/5 नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री स्व.श्री शिवजीलाल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, देवली, जिला टोंक।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोडारायसिंह, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.07.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. यह अपील कार्मिक शिवजी लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलार्थी के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया।
2. अपीलार्थी के विधिक वारिसान की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर वह दिनांक 30.11.2010 को सेवानिवृत हो गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पंचायत गुराई के वर्ष 2007–2008 से 2009–2010 में नरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की जांच की गई, जांच दल द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय द्वितीय एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली को दिनांक 21.10.2011 को प्रस्तुत की गई। उक्त जांच रिपोर्ट के सारांश में अंकित किया गया कि ग्राम पंचायत गुराई पंचायत समिति देवली की जांच उपलब्ध कराये गये रिपोर्ट एवं कार्य के भौतिक सत्यापन के आधार पर रेण्डम जांच के आधार पर तैयार की गई है। इस मस्टरोल में

अनियमितता एवं कांट–छांट तथा जॉब कार्ड में कांट–छांट तथा फोटो प्रमाणीकरण का अभाव है। सामग्री क्रय निविदा प्रकाशन का अभाव है तथा अन्य अनियमितताओं के भाग अ ब स में दर्शाया गया है। कार्यों की जांच में पाई गई अनियमितताओं के कारण राशि 33,34,013/– की वसूली एवं वेट की वसूली तत्कालीन सरपंच श्री प्रहलाद मीणा एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव श्री शिवप्रसाद सिसोदिया, श्री शिवजी लाल मीणा तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री अमित भाटी से वसूलनीय है। उपरोक्त जांच के संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि उपरोक्त जांच नरेगा के अन्तर्गत करवाये गये कार्यो की गई थी, परन्तु उपरोक्त जांच विभागीय जांच ना होकर तथ्यों की जानकारी हेतु इन्क्वायरी थी। उपरोक्त जांच रिपोर्ट में ना तो अपीलार्थी को सुना गया ना ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर ही प्रदान किया गया। बिना सुनवाई बिना कोई पक्ष रखने का अवसर दिये ही जांच रिपोर्ट में वसूली राशि प्रस्तावित कर दी गई। प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 31.10.2011 के अनुसरण में आदेश क्रमांक महा.नरेगा/पसदे/2011–12/499–502 दिनांक 30.01.2012 जारी कर अपीलार्थी को नोटिस दिया गया कि अपीलार्थी 7 दिवस में 15,90,928/– रूपये कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा अपीलार्थी के विरूद्व राशि वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृति के पश्चात वसूली की कार्यवाही की गयी। यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को वसूली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी का तर्क है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में यह माना है कि वसूली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व याचि को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने के लिये कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में वसूली की कार्यवाही किया जाना अनुचित है। उनका यह भी तर्क रहा है कि वर्तमान में अपीलार्थी की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में अब सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अतः इस प्रकरण में अपीलार्थी के सम्बन्ध में पुनः जांच किया जाना संभव नहीं है।

अतः आलोच्य आदेश जो वसूली के सम्बन्ध में पारित किया गया है, को अपास्त किया जाए।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, टोंक के पत्र दिनांक 21.03.2011 द्वारा (1) श्री रामेश्वरलाल खटीक–अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) (2)सत्येन्द्र असवाल–विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली (3) इन्द्रमल जैन–सहायक लेखाधिकारी, जिला परिषद टोंक की जांच कमेटी गठित कर ग्राम पंचायत गुराई के वर्ष 2007–2008 से वर्ष 2009–2010 में मनरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो की जांच हेतु निर्देशित किया गया। इसकी पालना में उपरोक्त कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत गुराई के वर्ष 2007–2008 से 2009–2010 में मनरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो की जांच कर विशेष जांच प्रतिवेदन जिला कार्यकम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर टोंक को प्रस्तुत किया गया। जांच के सारांश में अंकित किया गया कि ग्राम पंचायत गुराई पंचायत समिति देवली की जांच उपलब्ध कराये गये रिकार्ड एवं कार्य के भौतिक सत्यापन के आधार पर रेण्डम जांच के आधार पर तैयार की गई। इस मस्टरोल में अनियमितता व कांटछांट एवं जॉब कार्ड में कांटछांट तथा फोटो प्रमाणीकरण का अभाव, सामग्री कय निविदा प्रकाशन का अभाव तथा अन्य अनियमितताओं के भाग अबस में दर्शाया गया है। कार्यो की जांच में पाई गई अनियमितताओं के कारण राशि 33,34,013/– रूपयों की वसूली एवं वैट की वसूली तत्कालीन सरपंच श्री प्रहलाद मीणा एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव, तत्कालीन ग्राम सेवा पदेन सचिव श्री शिवप्रसाद सिसोदिया, अपीलार्थी श्री शिवलाल मीणा तथा कनिष्ठ सहायक तकनीकी से वसूलनी है। उपरोक्त जांच के संबंध में अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि जांच विभागीय जांच ना होकर तथ्यों की जानकारी हेतु इंक्वायरी थी एवं ना तो अपीलार्थी को सुना गया ना ही अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया क्योंकि वसूली प्रपत्र अनुसार वसूली योग्य राशि नोर्म्स से अधिक मात्रा में भुगतान एवं रपटों पर घटिया सामग्री के उपयोग, मूल्यांकन से अधिक राशि का भुगतान, स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज नहीं करने, बी.एस.आर. दर से भुगतान नहीं करने के कारण वसूली अपेक्षित की गयी थी। वसूली ग्राम पंचायत के रिकार्ड एवं कार्यो का निरीक्षण कर नियमानुसार जारी की गयी है। अपीलार्थी शिवलाल मीणा सेवानिवृति उपरांत जीपीएफ का अंतिम भुगतान बिल नंबर 199 दिनांक 21.11.2011 द्वारा

राशि 1,43,159/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्य बीमा अंतिम भुगतान बिल नंबर 148 दिनांक 19.10.2011 राशि 68,951/– का भुगतान किया जा चुका है। अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश खाते में बकाया 300 उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान बिल नंबर 192 दिनांक 19.01.2015 राशि 2,63,180/– रूपये में से भवन निर्माण अग्रिम वसूली राशि 1,89,298/– रूपये एवं वाहन अग्रिम वसूली राशि 57,321/– रूपये कुल राशि 2,46,619/– की वसूली की जाकर शेष राशि 12,561/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है। अपीलार्थी को प्रोविजनल पेंशन पीपीओ नंबर 1021560 (आर) REV दिनांक 31.10.2019 जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वसूली राशि 15,90,928/– रूपये जमा नही कराने के कारण अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण का निस्तारण नही किया जा सका जिसके लिए अपीलार्थी स्वयं ही दोषी है। अपीलार्थी की सेवानिवृति उपरांत प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गयी। अपीलार्थी द्वारा वसूली राशि 15,90,928/– रूपये जमा नहीं कराने के कारण अपीलार्थी का फाईनल पेंशन प्रकरण निस्तारण नही किया जा सका। अपीलार्थी दिनांक 30.11.2010 को सेवानिवृत हो चुका था एवं वर्ष 2011 में वसूली राशि 15,90,928/– रूपये निकाली गई, जिसके कारण विभागीय जांच प्रस्तावित नहीं की गई।

5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें याचि से वसूली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना है। प्रत्यर्थी विभाग यह स्पष्ट किये जाने में असफल रहा है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में वसूली की कार्यवाही का आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो। अपीलार्थी को सुनवाई अवसर प्रदान नहीं किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। हम यह भी पाते हैं कि वर्तमान में कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में अब सुनवाई का अवसर

प्रदान नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में नोटिस दिनांक 30.01.2012 (अनुलग्नक–4) एवं 30.06.2012 (अनुलग्नक–5) अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी की पत्नी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करें। कार्मिक की पत्नी को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर एरियर का भुगतान किया जाए तथा एरियर राशि पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–89 के तहत ब्याज राशि का भी भुगतान किया जाए। इस आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जाए।

8. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)